न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—40 / 2010 / 225 (2010 / 00034)

1. सार्दुल पुत्र श्रवण,
2. सुरेश पुत्र भंवरलाल,
3. भागचंद पुत्र भंवरलाल,
4. जगदीश पुत्र रामचन्द्र,
5. मोहनी पत्नी रामचंद्र,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी कायड़, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायणदास पुत्र दयालदास, जाति सिन्धी, निवासी मदार सदोरिया, तह0 व जिला अजमेर ।
2. अणदाराम पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी 31, सिमारों व माकड़ों की ढाणी बुडियावास, तह0 परबतसर, जिला नागौर ।
3. मनमोहनसिंह पुत्र घनश्यामसिंह, जाति राजपूत, निवासी पडांगा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 23.2.2010 अंतर्गत प्रकरण संख्या 21 / 2010.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ऋषिराजसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 23.2.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस / प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धार 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कायड़ की अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के साबिक खसरा नंबर 1855 रकबा 24—3—10 हाल खसरा नंबर 2251 रकबा 12—3—10, खसरा नंबर 2257 रकबा 2—9—00, 2256 रकबा 2—19—00, 2258 रकबा 3—18—00, 2259 रकबा 2—9—00, 2195 रकबा 00—05—00 कुल किता 6 कुल रकबा 24—3—10 भूमि के सहखातेदार मांगू व गोलिया पिता बोदू,

मांगू व पांचू पिता घीसा दर्ज है । मांगू के वारिस पुत्र दाखा है इनमें सह खातेदार गोविन्दा, माना, रंगलाल, सूरजकरण उर्फ लाला पुत्र मांगू ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.12.1983 से अपना संपूर्ण हिस्सा एवं उगमा पुत्र गोगुल उर्फ गोलिया ने अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.12.1983 से प्रार्थी संख्या 1 तथा 2 व 3 के पिता भंवरलाल व प्रार्थी संख्या 4 के पिता व प्रार्थी संख्या 5 के पति रामचंद्र को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया । खरीद दिनांक से ही प्रार्थीगण विवादित आराजियात पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन उपरोक्त क्रयशुदा भूमि में से हाल खसरा नंबर 2256 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत रूप से बिना किसी आदेश, बेचान, रहन, मुन्तकिल के गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दी गई ओर अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान कर दी जाने पर नामांतकरण संख्या 1506 दिनांक 24.2.2009 को तस्दीक हो गया । अप्रार्थीगण उक्त गलत इंद्राज की आड़ में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में जबरन दखलंदाजी उत्पन्न करने व अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल, खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। बेदखली, रहन, बेचान, मुंतकिल एवं खुर्दबुर्द करने पर प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश निर्णय 23.2.2010 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने अस्पष्ट कारणरहित व नॉन स्पीकिंग आदेश से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने में अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधी0न्याया0 ने मूल वाद में तनकी कायम कर साक्ष्य के आधार पर निर्णित किये जाने वाले बिन्दुओं पर निर्णय पारित कर एक प्रकार से वाद को ही अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में निर्णित कर दिया जिससे अधी0न्याया0 का आदेश बैड इन लॉ होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने बंटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थना पत्र अनुसार केवल मात्र आराजी खसरा नंबर 2256 हेतु अनुतोष चाहा है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किया है कि बंदोबस्त के दौरान प्रविष्टियां की गई है जिसका अधिकार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व रहन, मुंतकिल के नहीं किया जा सकता था इससे स्पष्ट था कि बंदोबस्त विभाग द्वारा गलती से रेस्पो0 संख्या 1 के नाम विवादित भूमि गलत दर्ज कर दी गई थी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को यह साबित करना था कि किस सक्षम न्यायालय के आदेश से विवादित भूमि उनके नाम दर्ज की गई है किन्तु इस संबंध में रेस्पो0 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इसका भार रेस्पो0 के बजाय प्रार्थीगण पर डालकर विधिक त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित आराजी खसरा नंबर 2256 का खातेदार किस प्रकार दर्ज किया गया इसको साबित करने का भार रेस्पा0 संख्या 1 पर था किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 इसको साबित करने में असफल रहे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर

अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी खसरा नंबर 2256 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है । प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरसत की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी खसरा नंबर 2256 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अपीलांट ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि ग्राम कायड़ की अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के साबिक खसरा नंबर 1855 रकबा 24–3–10 हाल खसरा नंबर 2251 रकबा 12–3–10, खसरा नंबर 2257 रकबा 2–9–00, 2256 रकबा 2–19–00, 2258 रकबा 3–18–00, 2259 रकबा 2–9–00, 2195 रकबा 00–05–00 कुल किता 6 कुल रकबा 24–3–10 भूमि के सहखातेदार मांगू व गोलिया पिता बोदू, मांगू व पांचू पिता घीसा दर्ज है । मांगू के वारिस पुत्र दाखा है इनमें सह खातेदार गोविन्दा, माना, रंगलाल, सूरजकरण उर्फ लाला पुत्र मांगू ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.12.1983 से अपना संपूर्ण हिस्सा एवं उगमा पुत्र गोगुल उर्फ गोलिया ने अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.12.1983 से प्रार्थी संख्या 1 तथा 2 व 3 के पिता भंवरलाल व प्रार्थी संख्या 4 के पिता व प्रार्थी संख्या 5 के पति रामचंद्र को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया । खरीद दिनांक से ही प्रार्थीगण विवादित आराजियात पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन उपरोक्त क्रयशुदा भूमि में से हाल खसरा नंबर 2256 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत रूप से बिना किसी आदेश, बेचान, रहन, मुन्तकिल के गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दी गई ओर अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान कर दी जाने पर नामांतकरण संख्या 1506 दिनांक 24.2.2009 को तस्दीक हो गया । अप्रार्थीगण उक्त गलत इंद्राज की आड़ में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में जबरन दखलंदाजी उत्पन्न करने व अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल, खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । विवादित आराजी के संबंध में वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । वादीगण/अपीलांटस का वाद में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इनका निस्तारण तो वाद में बाद साक्ष्य होगा किन्तु वर्तमान में यदि विवादित आराजी का और आगे विक्रय, हस्तातंरण हो जाता है एवं विवादित आराजी को खुर्दबुर्द किया जाता है तो अपीलांटस द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की सुरक्षा न्यायालय का दायित्व है। अधी0न्याया0 ने प्रकरण की परिस्थितियों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.2.2010 को निरस्त किया जाता है तथा न्यायहित में उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे विवातिद आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल दावे के निस्तारण तक बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर